जिला–मधुबनी **दिनांक–07.07.2026**

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 101ए/2018
साधारण पंजी वाद संख्या–1669/2017
मधेपुर थाना कांड सं0–107/2017

सरकार (द्वारा भैरव चौपाल पिता–स्व0 सुन्दर चौपाल, सूचक)
साकिन–बेहट, थाना–लखनौर आर0एस0 ओ0पी0 झंझारपुर, जिला–मधुबनी
..... अभियोजन

बनाम

सुमित्रा देवी पिता–चंदेश्वर चौपाल (उम्र लगभग–50 वर्ष),
साकिन–मेटरस, थाना–मधेपुर, जिला–मधुबनी
..... अभियुक्त

अपराध की तिथि:–09.11.2017

प्राथमिकी की तिथि:–10.11.2017

आरोप गठन की तिथि:–13.11.2019

साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–29.11.2019

निर्णय पर नियत करने की तिथि:–07.07.2026

निर्णय की तिथि:–07.07.2026

सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री परशुराम मिश्रा

निर्णय तिथि–07.07.2026

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्त मिथलेश चौपाल का भा0दं0वि0 की धारा–304बी, 201, 302 एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत विचारण किया गया है।

02. अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचक भैरव चौपाल के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक अपनी पुत्री रंजू देवी की विवाह मिथलेश चौपाल के साथ समपन्न की किया। जिसमें चन्देश्वर चौपाल को दहेज के रूप में नगद राशि एक लाख इक्कीस हजार रूपये एवं आठ आना सोना दिया गया। कुछ दिनों के बाद उसकी पुत्री रंजू देवी को बार–बार मारपीट रंजू देवी के पति एवं सास करने लगी और बोला कि तुम अपने पिता को बोलो की एक मोटरसाईकिल देने का। सूचक की पुत्री बोली पिताजी गरीब व्यक्ति है। जैसे–तैसे कर्ज लेकर विवाह किया, जो अभी भी कर्ज खत्म नहीं हुआ, तो मोटरसाईकिल कहां से देगे। इसी बात को लेकर दिनांक 09.11.2017 को रंजू देवी के पति मिथलेश चौपाल, सास, ब्रह्मदेव चौपाल, सुनीता देवी ये चारो मिलकर सूचक की पुत्री को हत्या कर कही फेंक दिया/जला दिया गया। सभी अभियुक्त फरार है। जब सूचक एवं इनके लोग रंजू देवी के ससुराल पहुंचे तो घर में ताला लगा हुआ था।

03. सूचिका के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना मधेपुर में भा0दं0वि0 की धारा–304बी, 201/34 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–107/2017 दिनांकित–10.11.2017 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–02.01.2018 को भा0दं0वि0 की धारा–304बी, 201 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–01/2018 न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्त के विरूद्ध उपरोंक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्त की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा–304बी, 201, 302 एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत दिनांक–13.11.2019 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

06. निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्त ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

07. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में कुल 08 मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

अभियोजन साक्षी सं0–01 सिंघेश्वरी देवी,
अभियोजन साक्षी सं0–02 लक्ष्मी चौपाल,
अभियोजन साक्षी सं0–03 यदु चौपाल,
अभियोजन साक्षी सं0–04 लक्ष्मी साव,
अभियोजन साक्षी सं0–05 अमोलिया देवी,
अभियोजन साक्षी सं0–06 भैरव चौपाल,
अभियोजन साक्षी सं0–07 रमेश चौपाल,
अभियोजन साक्षी सं0–08 श्याम चौपाल,

उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन के छायाप्रति को पहचान हेतु प्रदर्श–x अंकित करवाया गया है।

09. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इस आपराधिक वाद में अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा–304बी, 201, 302 एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन

पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में 08 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन के छायाप्रति को पहचान हेतु प्रदर्श–x अंकित करवाया गया है।

11. लिखित आवेदन के अनुसार, सूचक अपनी पुत्री रंजू देवी की विवाह मिथलेश चौपाल के साथ समपन्न की किया। जिसमें चन्देश्वर चौपाल को दहेज के रूप में नगद राशि एक लाख इक्कीस हजार रूपये एवं आठ आना सोना दिया गया। कुछ दिनों के बाद उसकी पुत्री रंजू देवी को बार–बार मारपीट रंजू देवी के पति एवं सास करने लगी और बोला कि तुम अपने पिता को बोलो की एक मोटरसाईकिल देने का। सूचक की पुत्री बोली पिताजी गरीब व्यक्ति है। जैसे–तैसे कर्ज लेकर विवाह किया, जो अभी भी कर्ज खत्म नहीं हुआ, तो मोटरसाईकिल कहां से देगे। इसी बात को लेकर दिनांक 09.11.2017 को रंजू देवी के पति मिथलेश चौपाल, सास, ब्रह्मदेव चौपाल, सुनीता देवी ये चारो मिलकर सूचक की पुत्री को हत्या कर कही फेंक दिया/जला दिया गया। सभी अभियुक्त फरार है। जब सूचक एवं इनके लोग रंजू देवी के ससुराल पहुंचे तो घर में ताला लगा हुआ था।

12. उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा सूचक भैरव चौपाल को अभियोजन साक्षी संख्या–06 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि उसकी बेटी रंजू देवी शादी के बाद अपने पति मिथलेश कुमार चौपाल के साथ राजी–खुशी से स्वेच्छा से अपने जीवन काल में आती–जाती थी तथा इस दरम्यान कभी भी उसकी बेटी ने अपने ससुराल का शिकायात नही कि थी। उसके समक्ष उसकी लड़की से किसी भी प्रकार का मांग चांग नही किया गया था। उसने सुनी सुनाई बात के आधार पर थाना में आवेदन दिया था। जो उसने थाना में आवेदन दिया था उस घटना का कोई भी अंश उसने अपने आंखो से नहीं देखा था। मुदालह के विरूद्ध आगे केस नही लड़ना चाहते है और यदि केस समाप्त हो जाती है तो उसे कोई आपत्ति नही है। वह मुदालह के साथ मेल मिलाप कर लिया है। सुलहनामा आवेदन पर वह अपनी मरजी और स्वेच्छा से हस्ताक्षर बनाया है। अभियोजन द्वारा रमेश चौपाल को अभियोजन साक्षी संख्या–07 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि यह मुकदमा सूचक और मुदालह के बीच मेल मिलाप हो गया है। रंजू देवी शादी के बाद अपने ससुराल से मायके और मायके से ससुराल प्रेमपूर्वक आया–जाया करती थी। रंजू देवी अपने ससुराल में अपने पति एवं सास के साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। उसके समक्ष मुदालह कभी भी दहेज का मांग–चांग नहीं किया था। उसने इस घटना को लेकर पुलिस के समक्ष अपना बयान नही दिया था। घटनास्थल का चौहदी वह नहीं बता सकते है। इस घटना का कोई भी अंश उसने अपने आंखो से नहीं देखा है। यदि केस समाप्त हो जाती है तो उसे कोई आपत्ति नही है। अभियोजन साक्षी संख्या–01, 02, 03, 04, 05 एवं 08 को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा इन्होंने ऐसी कोई घटना घटित होने से इंकार करते हुए पक्षद्रोही हो गये हैं तथा अभियोजन द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें भी उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा चिकित्सक, विवेचक सहित अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परीक्षित साक्षी ने अपने–अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। उभय पक्ष द्वारा समझौता एवं अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है। जिस पर सभी आवश्यक पक्षकारों का निशान/हस्ताक्षर है।

13. इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं लिखित आवेदन में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा भा0दं0वि0 की धारा–304बी, 201, 302 एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालह के विरूद्ध

आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा–304बी, 201, 302 एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

आ दे श

15. अभियुक्त **सुमीत्रा देवी** पिता–चंदेश्वर चौपाल, साकिन–मेटरस, थाना–मधेपुर, जिला–मधुबनी को भा0द0वि0 की धारा–304बी, 201, 302 एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदार अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं तथा साथ–ही–साथ निर्णय की प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
07.07.2026

लेखापित

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
07.07.2026